न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :- 34/2022

वादीयाः-

श्रीमति सुगनीदेवी धर्मपत्नी मांगीलाल जाति सीरवी निवासी बेरा झालरा बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. ओमप्रकाश पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी
2. मांगीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी
3. तीजीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति सीरवी (फौत)
4. मिसरीदेवी पुत्री हुकमाराम जाति सीरवी निवासीगण बेरा अबजी का झालरा चक सं. 1 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं0 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 5- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 16/04/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व वाद सं. 16/2019 अनवान श्रीमति दाकू बनाम ओमप्रकाश के दावे के साथ राजस्व वाद सं. 29/2012 अनवान मांगीलाल बनाम ओमप्रकाश को कंसोलिडेट किया गया, इस कारण दोनों दावों का एक ही निर्णय किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व वाद सं. 16/2019 इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 बिलाडा के निवासी है तथा प्रतिवादी सं. 4 ग्राम खारिया मीठापुर के निवासी है। मौजा बिलाडा चक सं. 1 की सरहद में भूमि खसरा नंबर 4458 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 4475 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 4406 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 4423 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त विवादित भूमि वादी के पिता लच्छाराम के नाम से दर्ज थी। वादी के पिता लच्छाराम के कोई पुत्र नहीं था वादी की माता का देहान्त वादी के पिता लच्छाराम से पहले हो गया था तथा वादी अपने पिता की एकमात्र संतान है, वादी ने विवादग्रस्त भूमि पर काश्त आदि की है। वादी के पिता का देहान्त सन् 2017 को हुआ था, उनके देहान्त का सारा खर्चा वादी ने अदा किया था वादी के पिता लच्छाराम ने किसी को कभी गोद नहीं लिया न ही कोई गोदनामा लिखा गया है। विवादग्रस्त भूमि की एकमात्र उताराधिकारी वादी है विवादित भूमि का पटटा लच्छाराम के नाम से जारी किया हुआ है। हुकमाराम ने वादी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाया है। विवादग्रस्त भूमि को इम्प्रमेन्ट कराने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गयी तो राजस्व रेकर्ड में दिनांक 09.09.2006 को सबसे पहले जानकारी हुई। वादी प्रतिवादी सं. 1

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

से 4 के पास दिनांक 10.09.2006 को भूमि अपने नाम कराने हेतु गयी तब प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि इस भूमि पर नहीं आवें।

अन्त में निवेदन किया कि दावे के पद सं. 2 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कब्जा से बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 30.12.2019 को अन्तिम डिक्री जारी कर राजस्व वाद सं. 16/2019 दाखुदेवी के कायम मुकाम बनाम ओमप्रकाश खारिज किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1, 3 का काउण्टर वाद स्वीकार किया गया। साथ ही राजस्व वाद सं. 29/2012 मांगीलाल बनाम ओमप्रकाश को खारिज किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर दाकू देवी के कायम मुकाम मल्लाराम पुत्र उम्मेदराम द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील की गई, जिसके अपील सं. 37/2020 अनवान दाकू देवी बनाम ओमप्रकाश वगैराह दर्ज की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश को खारिज कर दिया गया तथा अपील अपीलाण्टस मय मूलदावा आंशिक रूप से वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से की सीमा तक स्वीकार की जाकर अपीलाण्टस को वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 4458, खसरा सं. 4475, खसरा सं. 4406 व खसरा सं. 4423 वाके मौजा बिलाडा चक सं. 1 में 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है बकाया हिस्सा हुकमाराम के वारिसान के रहेगा। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बिलाडा अदालत हाजा द्वारा उपरोक्तानुसार जारी प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में नियमानुसार मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में अपीलाण्टस के वादग्रस्त आराजियात के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव अपने समक्ष पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद विधिवत राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलाण्टस के पक्ष में उन्हें प्राप्य भूमि के संबंध में अंतिम डिक्री जारी कर स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रसारित की जावें। उक्त आदेश की पालना में न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक 622 दिनांक 6.10.2022 को तहसीलदार बिलाडा को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	श्रीमति सुगनीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति सीरवी	4406	0.1335
		4423	0.1132
		4458	0.1699
		4475	0.1780
	कुल योग	4	0.5946
2	ओमप्रकाश पिता हुकमाराम जाति सीरवी	4406	0.1001
		4423	0.0849
		4458	0.1274
		4475	0.1335

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

	कुल योग	4	0.4459
3	मांगीलाल पिता हुकमाराम जाति सीरवी	4406 4423 4458 4475	0.0334 0.0284 0.0425 0.0445
	कुल योग	4	0.1488

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 03.09.2024 के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.09.2024 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण

सुगनीदेवी **ओमप्रकाश वगैराह**

दावा अन्तर्गत धारा 53,88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 34/2022

निर्णय **दिनांक :-** 16/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
			द२0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा